


मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
वमुकद में ईव्यदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



तारीख अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
करण संख्या :- 550/2024  
पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

सर्वजीतसिंह  
रणजीतसिंह

पिसरान जगदेवसिंह जाति जटसिख साकिनान संतपुरा  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण-

वनाम

- छिन्द्रकौर पुत्री भोलासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तह० संगरिया जिला हनुमानगढ़
- सरजीतकौर पत्नी भोलासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तह०संगरिया जिला हनुमानगढ़
- अमरप्रीतसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
- गुरप्रीतकौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
- गुरप्रीतसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
- मनप्रीतकौर पुत्री मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
- हरप्रीतकौर पुत्री मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
- रमनदीपसिंह पुत्र दलबारासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तह० संगरिया
- सुरेशदेवी पत्नी उदयपाल जाति मेघवाल साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जि०हनुमानगढ़
- गुरचरणसिंह उर्फ लीलासिंह पुत्र मालासिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा
- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा दीनगढ़ जरिये मैनेजर।
- आरएमजीबी बैंक, शाखा संगरिया जरिये मैनेजर।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

डिक्री

प्रतिवादीगण  
दिनांक :- 19.2.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई  
रुबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी जानिव  
मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक  
अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 3 एएमपी

- रणजीत सिंह, सर्वजीत सिंह पि.जगदेव सिंह बहिब जाति जटसिख सा.सन्तपुरा की कब्जा काश्त भूमि प.न.  
169/135 मु.न. 10 किला नं. 20/0.253, 21/0.253,
- अमरप्रीत सिंह 0.0684 हि, गुरप्रीतसिंह 0.0684 हि.मनप्रीतकौर 0.0684 हि. हरप्रीतकौर 0.0684 हि. गुरमीतकौर  
पि. मलकीत सिंह 0.0684 हि. गुरचरण सिंह उर्फ लीलासिंह पुत्र मालासिंह 0.082 हि. सिमरनदीपकौर पत्नी  
अमरप्रीतसिंह 0.082 हि. जाति जटसिख सा.सन्तपुरा की कब्जा काश्त भूमि प.न. 168/135 मु.न. 9 किला  
नं. 16/1/0.215, 16/2/0.038, गै.मु.रास्ता 25/1/0.215, 25/2/0.038 गै.मु.रास्ता

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है  
फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित  
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है  
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/5198 दिनांक 23.12.2025  
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन  
करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य  
पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।  
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....19.2.2024.....को खुले न्यायालय में जारी  
किया गया।

(जय कौशिक)  
महासचिव कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया